कार्यालय संयुक्त निदेशक फा0स0 मुख्यालय लखनऊ।
पत्रांकःस- 61/जे0डी0/जीबीएन-13(हापुड)/428 दिनांकः दिसम्बर 31 2013,
सेवा मे,

सचिव,
हापुड पिलखुवा विकास प्राधिकरण,
हापुड।

विषयः मैसर्स मोनाद एजुकेशन सोसायटी द्वारा ग्राम बडोदा हिन्दवान खसरा संख्याः 766, 768, 770 से 773, 776 से 779, 800, 801, 811 से 817 एवं 820 ग्राम बड़ोदा तथा खसरा न0-1058 से 1060, 1086 से 1092, 1094 से 1096, 1098, 1099, 1109 ग्राम कस्तला कासमाबाद जिला हापुड मे निर्मित " मोनाद यूनिवर्सिटी" एजुकेशनल भवन की कम्प्लीशन अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक आवेदक द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के माध्यम से प्रश्नगत मैसर्स मोनाद यूनिवर्सिटी की कम्प्लीशन (पूर्णता) अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने का अनुरोध इस कार्यालय से किया गया है।

उक्त प्रश्नगत भवन की अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाओं का निरीक्षण अग्निशमन अधिकारी हापुड से कराया गया तो उनकी आख्या पत्र संख्याः एफएस-एच/13 दिनांकः 19-12-2013 का सुसंगत मानको के अनुसार परीक्षण मुख्य अग्निशमन अधिकारी गाजियाबाद एवं उपनिदेशक, फायर सर्विस मेरठ द्वारा कर संस्तुति आख्या अधोहस्ताक्षरी को प्रेषित की गई, जिनका सुसंगत मानको के अनुसार परीक्षण अधोहस्ताक्षरी द्वारा किया गया जिसका विवरण निम्नवत हैः-

भवन की संरचनाः-

1-कुल प्लाट एरिया-22,840 वर्ग मी0 है।

क्रमांक	नाम ब्लाक	तलो की संख्या	कवर्ड एरिया	स्टेयर की संख्या एवं चौडाई मी मे	ऊँचाई
1	ब्लाक-ए0	भूतल से तृतीय तल तक	3,383.00	04 अदद-1.82 मीटर	17.68
2	ब्लाक-बी0	भूतल से तृतीय तल तक	2,288.55	03 अदद-1.82 मीटर	17.68
3	ब्लाक-सी0	भूतल से तृतीय तल तक	2,288.55	03 अदद-1.82 मीटर	17.68

भवन का प्रयोगः- प्रश्नगत भवन का अधिभोग शैक्षणिक (एन0बी0सी-2005 बी-2) के अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया है।

ढांचागत व्यवस्थायेंः-

1-पहुँच मार्गः- भवन के सामने 12 मी0 चौड़ा रोड नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया-2005 मानको के अनुसार उपलब्ध है तथा प्रवेश द्वार की चौडाई लगभग 06.00 मी0 मानको के अनुसार उपलब्ध है।

2-सैटबेकः- भवन के सामने 15 मीटर एवं तीनो और 09-09 मीटर का सैटबेक उपलब्ध है।

उपरोक्तानुसार भवन के सैटबेक भवन निर्माण विनियमावली के सुंसगत प्राविधानों के अनुसार उपलब्ध है, सैट बैक सदैव अवरोध मुक्त रखे जायेगें । सैट बैक मे किसी प्रकार का स्थाई/अस्थाई निर्माण कार्य मान्य नही होगा।

3-निकास मार्गः- प्रश्नगत भवन के प्रत्येक ब्लाक मे स्टेयर उपरोक्तानुसार उपलब्ध है समस्त स्थानो से ट्रेवल डिस्टेन्स अधिकतम अनुमन्य सीमा के अन्तर्गत है।

4-रिफ्यूज एरियाः- प्रश्नगत भवन में प्रत्येक तल पर बालकनी का प्राविधान है जो एन0बी0सी0 मानक के अनुसार है।

1-होजरील/डाउन कामरः-प्रश्नगत भवन के प्रत्येक ब्लाक मे प्रत्येक तल पर होजरील, लेण्डिंग वाल्व, होज पाइप एवं ब्रान्च पाईप का प्राविधान एन0बी0सी0 मानको के अनुसार स्थापित एवं कार्यशील दशा मे पाई गई।

2-टेरिस टैंकः- प्रश्नगत भवन में भवन की टेरिस पर टेरिस टैंक 10,000 दस हजार ली0, क्षमता का मानको के अनुसार स्थापित एवं कार्यशील दशा मे है।

3-टेरिस पम्पः- प्रश्नगत प्रत्येक ब्लाक की टेरिस पर टेरिस पम्प 900 एल0पी0एम0, क्षमता का मानको के अनुसार स्थापित एवं कार्यशील दशा मे है।

संयुक्त निदेशक
फायर सर्विस मुख्यालय
उ०प्र०, लखनऊ

4–मैनुवल आपरेटिड इलैक्ट्रिक फायर एलार्म सिस्टमः–सम्पूर्ण भवन मे मैनुवल आपरेटिड इलैक्ट्रिक फायर एलार्म सिस्टम एन0बी0सी0 मानकों के अनुसार स्थापित है।

5–प्राथमिक अग्निशमन उपकरण (फायर एक्सटिंग्यूशर):– भारतीय मानक ब्यूरो के आई0एस0–2190 के अनुसार कार्यशील दशा मे स्थापित पाये गये।

6–पी0ए0 सिस्टमः– प्रश्नगत भवन मे पी0ए0 सिस्टम की स्थापना मानको के अनुसार है।

7–एग्जिट साईनेजः–सम्पूर्ण भवन मे एग्जिट साईनेज की स्थापना मानको के अनुसार है।

अतः उपरोक्तानुसार उपलब्ध अग्नि से सुरक्षा व्यवस्थाओं के आधार पर के कम्प्लीशन/ पूर्णता अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र निम्न शर्तो के अधीन निर्गत किया जाता हैः–

1– भवन प्रबन्धक को निर्देशित किया जायें कि भवन मे अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाओं को सदैव कार्यशील दशा मे बनायें रखने हेतु मैन्टीनेन्स सैडयूल बनाया जाये तथा उसी के अनुसार कार्यशील दशा मे रखा जायें।

2– भवन मे स्थापित अग्निशमन प्रणाली के संचालन हेतु नियमित प्रशिक्षित स्टाफ नियुक्त किया जाये।

3– भवन मे स्थापित अग्निशमन व्यवस्थाओं में किसी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर इसकी सूचना अविलम्ब स्थानीय अग्निशमन केन्द्र को दी जाए।

4– भवन मे किसी प्रकार का निर्माण कराये जाने से पूर्व अग्निशमन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।

5– प्रत्येक छः माह मे एक बार भवन मे कार्यरत सुरक्षा कर्मियों को मॉक ड्रिल /फायर ड्रिल कराई जायें तथा इमरजेन्सी इवेक्यूशन प्लान बनाया जाए इसकी जानकारी सुरक्षा कर्मियों को प्रदान कराई जाए।

6– वर्ष मे एक बार अग्निशमन विभाग से सिस्टम के कार्यशील होने का प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।

7– भवन मे स्थापित अग्निशमन व्यवस्थाओ के अनुरक्षण के अभाव मे अथवा लापरवाही के कारण सिस्टम अकार्यशील दशा मे पाये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व प्रबन्धक का होगा तथा निर्गत प्रमाण पत्र स्वतः ही निरस्त माना जायेगा।

31/12

(पी0के0राव)
संयुक्त निदेशक
फायर सर्विस मुख्यालय
उ0प्र0, लखनऊ

प्रतिलिपिः 1–उपनिदेशक फा0स0 मेरठ को सूचनार्थ।

2–मुख्य अग्निशमन अधिकारी गाजियाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

3–अग्निशमन अधिकारी हापुड गाजियाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

4–सचिव मैसर्स मोनाद एजुकेशन सोसायटी को उपरोक्तानुसार अनुपालनार्थ।